कार्यालयः–शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज, सहारनपुर

संख्याः–रा.मे.का.स./2015/1043 सहारनपुरःःदिनांक-24 सितम्बर, 2015

पुनर्निविदा सूचना

इस कार्यालय द्वारा जारी निविदा सूचना संख्या–रा.मे.का.स./2015/309, सहारनपुर, दिनांक–12 जून, 2015 एवं पुनर्निविदा सूचना संख्या–रा.म.कास./2015/659, दिनांक 5 अगस्त, 2015 के द्वारा शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज, सहारनपुर हेतु समय–समय पर किराये पर टैक्सी वाहन लेने हेतु वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिये अधिकृत ट्रैवल एजेन्सियों से मुहरबन्द निविदा (तकनीकी एवं वित्तीय भाव पक्ष की निविदायें पृथक–पृथक लिफाफों में सील की गयी) निविदायें आमंत्रित की गई थी। इस परिप्रेक्ष्य में पुनर्निविदा आमंत्रित की जा रही है।

निर्धारित निविदा प्रधानाचार्या, षेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज, सहारनपुर के कार्यालय से सभी कार्य दिवसों में दिनांक 06.10.2015 से 20.10.2015 तक प्रतिदिन मध्यान्ह 12.00 बजे से अपरान्ह 2.00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है निविदा शुल्क रू0 100/–तथा वैट 5 प्रतिषत अतिरिक्त सहित जो किसी भी दषा में वापस नहीं होगा का नगद भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है। मुहरबन्द निविदायें (तकनीकी एवं भावपक्ष, मूल एवं प्रतिलिपि अलग–अलग मुहरबंद लिफाफों में) दिनांक 21.10.2015 को अपरान्ह 1.00 बजे तक कार्यालय प्रधानाचार्य शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कॉलेज में स्वीकार की जायेंगी। डाक द्वारा भेजी गई निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। प्रत्येक निविदा प्रपत्र के लिफाफे के ऊपर निविदा संख्या एवं आइटम का नाम स्पष्ट रूप से लिखना होगा। निर्धारित समय के अन्तर्गत प्राप्त निविदाओं के तकनीकी भाव पक्ष को दिनांक 21.10.2015 को अपरान्ह 2:00 बजे उपलब्ध निविदादाताओं अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जायेगा। यदि अंतिम कार्यदिवस पर कोई अवकाश घोषित हो जाता है, तो उसके अगले कार्यदिवस को निर्धारित तिथि माना जायेगा, किसी भी कारण से विलम्ब से प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्र किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किए जाएंगे। सभी नियम एव शर्तें जैसा कि निविदा प्रपत्रों में अंकित है, को इस टेण्डर संख्या का अभिन्न अंग माना जाएगा। ईएम0डी0, एफ0डी0आर0/टी0डी0आर0 फार्म में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक से, जो कि प्रधानाचार्य, शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज सहारनपुर के नाम से होगी, को निविदा की तकनीकी निविदा के साथ अलग से सील्ड कवर लिफाफे में अंकित करते हुए स्वीकार किया जाएगा। आइटम्स की संख्या घटायी व बढ़ायी जा सकती है। प्रधानाचार्य को बिना कारण बताये निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार किये जाने अथवा निविदा सूचना में विज्ञापित किसी भी आइटम का कय स्थगित/निरस्त करने अथवा नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा। किसी भी न्यायिक विवाद की स्थिति में लीगल ज्यूरीडिक्शन जिला–सहारनपुर, उ0प्र0 के मा0 न्यायालय में होगा।

इस निविदा सूचना को उत्तर प्रदेश सरकार की अधिकृत वेबसाइट www.upgov.nic.in, महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश लखनऊ की अधिकृत बेबसाइट www.updgme.in तथा मेडिकल कालेज की वेबसाइट www.shmmhmedicalcollege.com पर देखा जा सकता है।

प्रधानाचार्या,
शेखुल हिन्द मौलाना महमूद हसन मेडिकल कालेज,
सहारनपुर